कार्यालय श्रम पदाधिकारी, सूरजपुर,

कक्ष क्र. 10-11, प्रथम तल, संयुक्त जिला कार्यालय परिसर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
Email ID- losurajpur@gmail.com, Ph.No 07775 266168

क्रमांक/922/श्र.अ./2020

सूरजपुर, दिनांक08/06/2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद – सूरजपुर,
नगर पंचायत – बिश्रामपुर, प्रतापपुर, जरही, भटगांव,
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :- दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के पालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- श्रमायुक्त, छ.ग. शासन, श्रम विभाग के पत्र क्र./24/श्र.आ./समन्वय/2020/2765 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 03.06.2020।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 27 मई 2020 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय द्वारा वर्तमान में शनिवार एवं रविवार दो दिन सम्पूर्ण लॉकडाउन की व्यस्था को समाप्त करते हुए पूर्व अनुसार सामान्य दिनों में दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थाओं को खोलते हुए साप्ताहिक रूप से बाजार एक दिन बंद रखने की व्यवस्था को बनाये रखने संबंधी निर्देश दिया गया है। तत्सम्बन्ध जिले के नगर पालिका परिषद् सीमा से 5 किमी. तक तथा नगर पंचायत सीमा से 3 किमी. तक उक्त अधिनियम प्रभावशील है तथा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकानों एवं स्थापनों में कार्यरत श्रमिकों को दिया जाने वाला साप्ताहिक अवकाश निर्धारित कर शनिवार को दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आप अपने क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले समस्त संस्थानों को निर्धारित दिवस **(शनिवार)** को बंद कराने के साथ अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।

08/06/20
श्रम पदाधिकारी,
जिला – सूरजपुर (छ०ग०)

पृ.क्र./923/श्र.अ./2020

सूरजपुर, दिनांक08/06/2020

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर महोदय, सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

08/06/2
श्रम पदाधिकारी,
जिला – सूरजपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

दिनांक 27 मई 2020 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री गण एवं मुख्य सचिव सहित अधिकारी गणों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में, धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खुलने के परिप्रेक्ष्य में, छूट देने के संबंध में, साथ ही अन्य राज्यों से आये छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों को क्वारेंटीन शिविरों मे रखने के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था तथा अन्य उपायों पर चर्चा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

1. वर्तमान मे शनिवार एवं रविवार दो दिन सम्पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को समाप्त करते हुये पूर्व अनुसार सामान्य दिनों में दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थाओं को खोलने हेतु अनुमति दी जाये। सभी दुकाने एवं संस्थाएं, जिनको गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खोलने हेतु अनुमति है, वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। पूर्वानुसार साप्ताहिक रुप से बाजार एक दिन बंद रखने की व्यवस्था को बनाये रखा जाये। ऐसे बाजार जो बहुत ही भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जिला स्तर से भीड़ को सीमित करने हेतु स्थानीय व्यवस्था बनाकर सोशल/फिजिकल डिस्टेंस मैंनटेन किया जाये। **(कार्यवाही-समस्त कलेक्टर)**
2. ऑटो, टैक्सी एवं बस सेवाओं के अंतर-राज्यीय संचालन एवं परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। **(कार्यवाही-परिवहन विभाग)**
3. कंटेनमेंट जोन में गृह मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। **(कार्यवाही-समस्त कलेक्टर)**
4. श्रमिक स्पेशल एवं 1 जून से प्रारंभ होने वाली सामान्य ट्रेनों एवं पूर्व में संचालित राजधानी स्पेशल ट्रेनों हेतु निर्धारित संख्या में सार्वजनिक परिवहन के संचालन हेतु अनुमति दी जाये। लेकिन यह ध्यान रखा जाये कि इन वाहनों में यात्रिगण एवं वाहन चालक/हेल्पर द्वारा मॉस्क पहना जाये एवं सोशल/फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाये। **(कार्यवाही- परिवहन विभाग)**
5. रेड जोन, ऑरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाये परन्तु कंटेनमेंट जोन की सीमाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाये। **(कार्यवाही- स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त कलेक्टर)**
6. क्वारेंटीन सेंटरों पर रुके हुये श्रमिकों को अत्याधिक गर्मी, अन्य दुर्घटनाओं जैसे सांप कॉटने से बचाव हेतु, खाने पीने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि के लिए उपयुक्त उपाय किये जाये। यदि उपयुक्त सुविधायें वर्तमान क्वारेंटीन सेन्टर में उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को एक बेहतर क्वारेंटीन फैसिलिटी में स्थानांतरित किया जाये। क्वारेंटीन सेंटरों में साफ/सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था, आग लगने से सुरक्षा, कूलर पंखें की पर्याप्त सुविधा, शौचालय सुविधा होनी चाहिए। **(कार्यवाही-समस्त कलेक्टर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)**
7. क्वारेंटीन सेंटर मे रूके व्यक्तियों हेतु एक प्रतिदिन गतिविधियों की दिनचर्या बनाई जाये जिसमें मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, उपयुक्त प्रकार के खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश हो। **(कार्यवाही-समस्त कलेक्टर)**
8. जिले के सभी क्वारेंटीन सेंटरों को छोटे समूहों में विभक्त किया जाये और प्रत्येक छोटे समूह के निरीक्षण हेतु जोनल अधिकारियों की नियुक्त की जाये। प्रत्येक क्वारेंटीन सेंटर हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए जो प्रतिदिन वहाँ की व्यवस्थाओं का परीक्षण करें एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। स्थानीय ग्राम पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मचारी प्रभारी अधिकारी की सहायता करें। **(कार्यवाही-समस्त कलेक्टर)**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner